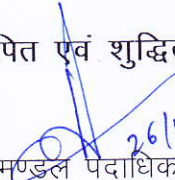
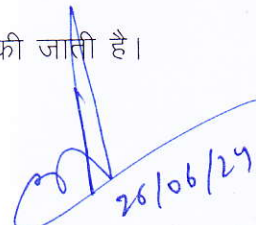


ब-अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, मधुपुर।

आर० ई० वाद सं०-०७/२०१८-१९

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई तारीख सहित
1	2	3
26.06.24	आदेश प्रस्तुत आर० ई० वाद सं०-०७/२०१८-१९ (बास्की राउत-बनाम-क्यूम मियां एवं अन्य) आवेदक-बास्की राउत, पिता-स्व० बिष्णु राउत, साकिन-सालजोर, अंचल-पालोजोरी, जिला-देवघर के द्वारा मौजा-चकतरना, थाना नम्बर-३१५, जमाबंदी नं०-०२, दाग न०-७२, अंश रकवा-२९ डी० जमीन से विपक्षी-क्यूम मियां, पिता-स्व० रामजन मियां, जफरुद्दीन मियां, मो० आरीफ, सफरुद्दीन मियां पिता-क्यूम मियां को उच्छेद करने हेतु दाखिल आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया है। ०२. प्राप्त आवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत कर कारण-पृच्छा की मांग करते हुए अंचल अधिकारी, पालोजोरी से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, पालोजोरी के पत्रांक-१४९/रा०, दिनांक-२५.०३.२०२२ द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त, जो अभिलेखबद्ध है। ०३. अंचल अधिकारी, पालोजोरी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-चकतरना, थाना नम्बर-३१५, जमाबंदी नं०-०२ सर्वे पर्चा में ठाकुर राउत वो वंशी राउत वो बुधन राउत पेशरान जानकी राउत सा०-देह कहकर दर्ज है। बास्की राउत, पिता-विशन राउत के द्वारा उक्त मौजा के जमाबंदी नं०-०२ दाग न०-७२, रकवा-५७ डी० में से अंश रकवा-२८ डी० जमीन पूरब की ओर से द्वितीय पक्ष क्यूम मिया, पिता-स्व० रमजान मियां को बदलेन स्वरूप दिया गया है एवं क्यूम मिया, पिता-स्व० रमजान मियां ने अपनी जमाबंदी नं०-०६ दाग न०-४९, रकवा-१३ डी० एवं दाग न०-६९, रकवा-१२ डी० जमीन बदलेन स्वरूप बास्की राउत को दिया है, जिसे अनुमंडल पदाधिकारी, मधुपुर के आर० एम० वाद सं०-८४/२००२-०३ द्वारा दिनांक-०३.०६.२००३ को बसगढ़ी भी किया गया है। ०४. उभय पक्षों को सुना, प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं दाखिल कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दोनों पक्षों के बीच में उक्त भूमि का विधिवत् बदलेन हुआ है। ऐसी स्थिति में उच्छेदी संबंधी कार्रवाई करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं शुद्धित  अनुमंडल पदाधिकारी मधुपुर।  अनुमंडल पदाधिकारी, मधुपुर।	Seen checked 9/7/24